

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद:-बस्ती

दिनांक:- 18.10.2020

एसओजी व थाना रुधौली पुलिस द्वारा पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने जा रहे दो शूटर समेत कुल 04 गिरफ्तार, अभियुक्तों के पास से दो अवैध तमंचा, चार जिंदा कारतूस, दो बाइक, 20 हजार रुपए नगद और चार अदद मोबाइल बरामद।

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशनमें तथा क्षेत्राधिकारी रुधौली श्री शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री राजेश मिश्र व प्रभारी निरीक्षक रुधौली श्री शिवाकान्त मिश्र की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक -18.10.2020 को समय सुबह 7.00 बजे विशुनपुरवा चौराहे के आगे मजार के पास से भाड़े पर हत्या करने जा रहे चार अभियुक्तों को अवैध असलहा व बाइक सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- आकाश पांडेय पुत्र महेंद्र कुमार पांडेय निवासी भीटा माफी थाना रुधौली, बस्ती (शूटर)।
- 2- हर्ष उपाध्याय पुत्र राममिलन उपाध्याय निवासी कड़ही रुधौली बस्ती (शूटर)।
- 3- आकाश चौधरी पुत्र बृजेश चौधरी निवासी वार्ड नंबर 23 मोहल्ला कटरा बाजार थाना कोतवाली, बस्ती(शूटर)।
- 4- प्रफुल्ल सिंह पुत्र रामउजागिर सिंह निवासी अकला थाना छावनी, बस्ती (साजिशकर्ता)।

बरामदगी का विवरण -

- 1- एक अदद तमंचा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस (आकाश चौधरी)
- 2- एक अदद तमंचा 12 बोर और दो जिंदा कारतूस (आकाश पांडेय)
- 3- एक बाइक यामहा एफजेड-5 (यूपी 51 एआर 1372)
- 4- एक बाइक सीडी डिलक्स (यूपी 51 यू 7216)
- 5- नगद 20 हजार रुपए (हर्ष उपाध्याय)
- 6- चार अदद मोबाइल

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह सुपारी किलर हैं। पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने जा रहे थे। बताया कि साथ में पकड़े गए छावनी थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रफुल्ल सिंह ने उन्हें अंबेडकरनगर के रहने वाले एक युवक की हत्या करने के लिए 1.20 लाख में सुपारी दी थी। एडवांस 50 हजार रुपए मिला था, जिससे असलहा खरीदा गया और पैसे खर्च हो गये। प्रफुल्ल सिंह द्वारा आज 20 हजार रुपये दिये गये शेष 50 हजार रुपया काम होने के बाद मिलना था। सुपारी देने वाले पकड़े गए प्रफुल्ल सिंह ने बताया कि क्षेत्र

की ही एक करीबी युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन युवती के घर वाले तैयार नहीं थे। उन्होंने उसकी शादी अंबेडकरनगर जिले के एक युवक से तय कर दी थी। इसी साल शादी होनी थी। जानकारी होने पर वह अपना आपा खो बैठा और युवक की हत्या करने की साजिश रच डाली। ताकि युवती की शादी कहीं और न हो सके। इसके लिए उसने रुधौली के रहने वाले हर्ष उपाध्याय और आकाश पांडेय को हत्या करने की सुपारी दी। हर्ष और आकाश ने असलहा के लिए कोतवाली बस्ती निवासी आकाश चौधरी से संपर्क किया। उसने कारतूस समेत असलहा मुहैया कराया। 18 अक्टूबर की सुबह प्रफुल्ल के साथ तीनों हत्या करने अंबेडकरनगर जा रहे थे कि एसओजी और रुधौली पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

इस प्रकरण में थाना रुधौली पर पंजीकृत अभियोग-

- (1) मु.अ.सं. 174/20, धारा 115, 120बी आईपीसी थाना रुधौली
- (2) मु.अ.सं. 175/20 धारा 3/25 आर्स एक्ट थाना रुधौली
- (3) मु.अ.सं. 176/20 धारा 3/25 आर्स एक्ट थाना रुधौली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक रुधौली श्री शिवाकांत मिश्र
2. प्रभारी एसओजी निरीक्षक श्री राजेश मिश्र
3. प्रभारी सर्विलान्स जितेन्द्र सिंह, का0 जनार्दन प्रजापती सर्विलान्स सेल बस्ती
- 4.उ0नि0 अशोक कुमार वर्मा थाना रुधौली बस्ती
5. का0 अदित्य पाण्डेय, का0 बुद्धेश, का0 रामसुरेश यादव एसओजी टीम बस्ती